E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–35/2023.........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–5825 दिनांक–13.07.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री छोटे लाल सोनी, (Emp. ID No.- AEN00428), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा द्वारा ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गई।

उभयपक्ष उपस्थित।

प्रस्तुत अपील पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य दाखिल किया गया। उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी का वाद संक्षेप में निम्न प्रकार है:–

निगरानी थाना कांड संख्या–057/2022 के अंतर्गत अपीलार्थी, श्री छोटे लाल सोनी को डॉ अंजनी कुमार से 70,000/– (सत्तर हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय से दिनांक–08.11.2022 को गिरफ्तार किया गया था। बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक–956 दिनांक–08.11.2022 द्वारा उक्त गिरफ्तारी से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराई गई। निगरानी विभाग द्वारा भ्र0नि0अधि0–1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) तथा भा0द0वि0 के विभिन्न धाराओं में अभियोजन स्वीकृत की मांग पर निदेशालय के पत्रांक–4009 दिनांक–28.04.2023 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय द्वारा दिनांक–02.05.2023 को श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण प्रतियुत्तर अप्राप्त।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना श्री सोनी (अपीलार्थी) के स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में यह माना गया कि श्री सोनी को अपने उपर लगे आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है। उक्त के आलोक में ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4) के आलोक में श्री सोनी (Emp. ID No.- AEN00428), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन की गिरफ्तारी की तिथि दिनांक–08.11.2022 से संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि निगरानी थाना कांड संख्या–057/2022 के सूचक डॉ अंजनी कुमार द्वारा मुझपर लगाया गया आरोप गलत एवं बेबूनियाद है। डॉ अंजनी कुमार के द्वारा मौजा–पांक–47 के अंतर्गत खाता संख्या–268, खेसरा संख्या–458, रकबा 2.0 डी0 गैरमजरूआ आम एवं खाता संख्या–267, खेसरा संख्या–201, रकबा 05 डि0 गैरमजरूआ खास तथा अन्य रैयती जमीन को अपने नाम से खाता खोलने का (प्रपत्र–2,3) आवेदन दिया गया था। अपीलार्थी का कहना है कि श्री अंजनी कुमार के रैयती खाता, खेसरा याददाश्त पंजी में दिनांक–10.10.2022 को ही में दर्ज कर दिया गया था, जिसकी कॉलम 10 में श्री अंजनी कुमार और उनके भाई का हस्ताक्षर भी अंकित है। श्री अंजनी कुमार द्वारा प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 में अंकित की गई गैरमजरूआ आम खाता संख्या–268, खेसरा–458 भूमि का खाता सरकार के नाम खोलने का आदेश दिनांक–10.06.2023 को ही विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिया जा चुका था। गैर–मजरूआ खास खाता संख्या–267, खेसरा संख्या–201 गैरमजरूआ खास जमीन का खाता खोलने का आदेश दिनांक–21.06.2023 को दिया गया है। श्री सोनी का आगे कहना है कि श्री अंजनी कुमार को पता चला कि उक्त गैर मजरूआ आम एवं खास खाते की जमीन याददाश्त पंजी में सरकार के नाम दर्ज किया जा चुका है तो हम पर दबाव बनाने के लिए श्रीं अंजनी कुमार द्वारा निगरानी में झुठा केस करके फसा दिया गया।

अपीलार्थी के कथन/लिखित कथन, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना का मंतव्य और संचिका में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री छोटे लाल सोनी, (Emp. ID No.- AEN00428), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन को निगरानी वाद संख्या–057/2022 के सूचक अंजनी कुमार के मौजा–पांक–47 सर्वेक्षण कार्य हेतु आवंटित था। प्रश्नगत जमीन का खेसरा मौजा–पांक–47 से संबंधित है। उक्त मौजे की खाता संख्या–267, खेसरा संख्या–201 गैरमजरूआ खास/ठीकेदार जमीन घटना के चार माह बाद दिनांक–07.03.2023 को अन्य विशेष सर्वेक्षण अमीन मोप्रिया बायन द्वारा याद्दाश्त पंजी में दर्ज किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा खाता संख्या–267, खेसरा संख्या–201 गैरमजरूआ खास/ठीकेदार की जमीन याद्दाश्त पंजी में दर्ज ही नहीं किया गया है। साथ ही अपीलार्थी श्री छोटे लाल सोनी 70,000 रिश्वत के रूपये के साथ निगरानी द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री सोनी पर लगा आरोप सत्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में श्री छोटे लाल सोनी, (Emp. ID No.- AEN00428), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा का अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–35/2023...12736...**पटना, दिनांक** :–...15/07/2024

प्रतिलिपिः– श्री छोटे लाल सोनी, (Emp. ID No.- AEN00428), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा, Email ID- chhotelalsoni95462@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/2024
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–35/2023...12736...**पटना, दिनांक** :–...15/07/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/2024
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–35/2023...12736...**पटना, दिनांक** :–...15/07/2024

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/7/2024
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–35/2023...12736...**पटना, दिनांक** :–...15/07/2024

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/2024
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–35 / 2023....12736.........**पटना, दिनांक** :–15/07/2024

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/2024

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–35 / 2023....12736.........**पटना, दिनांक** :–15/07/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7/2024

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप